

उपखंड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
कानपुर

उपखंड अधिकारी नरेंद्र

उपसं 363/17 राउवा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
माना गुजर 15 महाराज गुजर

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

30/11/18 पञ्जावली पेश हुई वरुण
प्रीवेन उपखंड वरील कृषि वारीगणों
1 से 5 अर्थात् पञ्जावली पेश करना
चाहते हैं पञ्जावली वाले पञ्जावली
अतिवारीगणों 1 से 5 हेतु दिनांक 30/11/18
को पेश करें।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

30/11/18

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी नरेंद्र के
मौखिक हुकम है। अहकाम पर है। पदस्थित है
अतः पञ्जावली दिनांक 30/11/18 को पेश हो।
23/11/18
रीडर
उपखंड अधिकारी, करेड़ा

माना 51-
30/11/18
शाग्र
30
30/11/18

5.6.18

पञ्जावली आज दिनांक 5.6.18 को मुकाम
गौरखमा पर राजस्व लोक अदालत शीविर
में पेश हुई। वाकी द्वारा प्रतिवाकी के समक्ष
व्यामालय के विवेदन किया गया कि
प्रतिवाकी गणों द्वारा वादीगणों की लगेगा
1.04 की छा प्रति पर अवैध रूप से अना-
दिलत कब्जा कर रखा है। वाकी द्वारा
दिनांक 06.01.2013 को गिरफ्तार साह
एव से केवल पटवारी दलमा के द्वारा
मौखिक हुकम के समक्ष पटवारी आती खाती
दारी प्रति की कवाई थी। जिसमें उपखंड
1.04 की छा पर प्रतिवाकीगणों का वाजागण
कब्जा होने की प्रति पटवारी को रखा है।

सहायक

तारीख
दस्तावेज नं.
न्यायालय
पदेन सहायक
अधिकारी
इसम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
पाद

न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा उपरोक्त
1.04 की घा त्रिमि प्रतिवादी गणों के संबंध
में धुड़वा कर पुनः वादी गणों का सम्भार
जान हेतु निवेदन किया गया।

प्रतिवादी गणों द्वारा निवेदन किया
गया कि वे प्रबन्ध दिनांक 06.01.2013
में पूर्णतया सहमत नहीं हैं अतः उधारा
मौके पर नपती करने पर यदि उनके
अनाधिकृत कब्जे की पुष्टि होती है तो
वे वादी की खातेपारी त्रिमि से अवगत
कब्जा छोड़ने को तैयार हैं।

मैंने वादी द्वारा उपरोक्त वाद पर
नापा विपक्षी/प्रतिवादी के निवेदन एवं
पुजावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन
किया। न्यायालय 6.01.2013 को त्रिमि
दिये गये पर्ये मौके की पुष्टि करता है
नापा इसके आवतुद भी उधारता करत
इस प्रतिवादी गणों के बपन के अनुसार कि
यदि उधारा नपती किम जान पर भी
अनाधिकृत कब्जा पाया जाता है तो
वे छोड़ने को तैयार हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर
वादीगण का वाद पर निरुद्ध कदम विधिगण
निरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किए जाने के
आदेश इस शर्त पर उदान किए जाते
हैं कि उधारण में नागध तदसीलदार
करत को उभासी नियुक्त किया जाकर

न्यायालय उपलब्ध अधिकारी

363/17

पदेन सहायक क्लर्क/सुपरीवाही मय इनिशियल्स जज करेण्ड (भोलवावा)


वाद

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

अभी उपस्थिति में हल्का गिरावर एवं
शेनेल्ले पटवारी रू पुनः मोंक पर
एक कार और वपती की जावें।
एवं अदि दिनांक 06.01.2013 रू पुनः
पुष्टि होती हो ता अविभक्त परिवार
वर्गों का कब्जा हटाया जाकर पुनः
वादीवर्गों का भुताविक वाद पर एवं
पर्य मोंक दिनांक 06.01.2013 रू
अनुसार खालेदार वादीवर्गों का
1.04 कीषा अमि रू परिवारवर्गों
को कब्जल करले इए कब्जा सम्भल
जाके रू आदेश उपाज मिट जाते हो
पालना रू लक्ष्मीलक्ष करेडा रू
लिम्बा जाके लक्ष्मीलक्ष रू
हो।

पदावली दर्जरजिस्टर रू कले की
जाकर जेसल सुमार हो।

अदि भाज दिनांक 05.06.2018 रू
रू इजालास सुनाया गया।


उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक क्लर्क करेडा

मूलवाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर करेड
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- रजनी माधवबाप R.A's.

मान्य श्री गंगाराम पुजारी उन्वान बनाम श्री महाराम पुजेमा मुन्डर रजनी माधवबाप पुजारी

दावा बाबत U.S 183 R.N. Act

मुकदमा नम्बर :- 363/17 रा-बाड

निर्णय दिनांक :- 5/6/18 केम्पकोरणा

वादी की ओर से लक्ष्मी की व प्रतिवादी की ओर से श्री गंगाराम पुजारी
की उपस्थिति में इस याद में आज तारीख 5/6/18 को रजनी माधवबाप (नाम पीठासीन अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी करेड के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर, आदेश किया
जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

~~वादी गंगाराम पुजारी को प्रतिवादी श्री महाराम पुजेमा मुन्डर रजनी माधवबाप पुजारी से
जान के आदेश इस दिनांक 5/6/18 को प्रदान किया जाता है कि पुजारी
मे न्याय के आदेशों के अनुसार दावा काटने वाली नियोक्ता के आदेशों को
अनुरोधित करने के लिये इस दिनांक 5/6/18 से पूर्व दावा पत्र पेश करे
उपरोक्त आदेश पर अज्ञानता के कारण प्रदत्त दिनांक 08/07/18
की पुनः प्रतिक्रिया हेतु अतिरिक्त प्रतिक्रिया गंगा का क्विब्या
खर्च पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।~~

यह आज तारीख 5/6/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

श्रेष्ठ आदेश के अन्वयान
उपल पर अंकित है

(दल)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड
पदेन सहायक कलक्टर करेड

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4. रूपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल	
जोड़	जोड़

अनुदान

- 1 - श्री मन्ना 5/0 श्री गंगाराम गुर्जर निगोर खण्ड
तु करे
- 2 - श्री भाग्य 9/0 श्री गंगाराम गुर्जर निगोर खण्ड
तु करे

— वादी का

- 1 - श्री मन्ना 5/0 ^{खनाम} श्री गंगाराम गुर्जर निगोर खण्ड
तु करे
 - 2 - श्री भाग्य 9/0 श्री गंगाराम गुर्जर निगोर खण्ड
 - 3 - श्री कर्जक 9/0 काना गुर्जर निगोर खण्ड
 - 4 - श्री भाग्य 9/0 काना गुर्जर निगोर खण्ड
 - 5 - श्री राजेश कुमार 9/0 काना गुर्जर निगोर खण्ड
 - 6 - राजेश कुमार 9/0 काना गुर्जर निगोर खण्ड
- प्रतिवादी का

————— X ————— X —————

शेख अहमद

हरामा जाऊ पुनः वारीगणों को मुताबिक वापस
एवं पत्रिका का दिनांक 05/01/2013 के अनुसार
रवातेदार वारीगणों को 1.05 बीघा भूमि से
उत्तिवादी गणों को बेदखल करते हुए कब्जा
संभाले जाने का आदेश प्रदान किए जाते
हैं।

उषखंड अधिकारी पवेन
सहायक कलेक्टर करड़ा